

प्रेषक,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुमान

लखनऊ: दिनांक: 8 जून, 2006

विषय :- स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड, राजाजीपुरम, लखनऊ को सीबीएसई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीबीएसई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की संजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहने और उनसे उपरोक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से विज्ञापन अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेट्टल बोर्ड आफ सेलेक्शन एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिणामों से संबद्धता प्राप्त होने की स्थिति से उपरोक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के वार्षिक एवं शिवागतेतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

—2—

-2-

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आवेग निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र पंक्तिजों में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिपक्ष यह भी होगा कि शासनादेश दिनांक 30-11-91 में अंकित प्रतिबंधों का सनादेश तत्काल सोसायटी विधेयवली में करा लिया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भारतीय,

(बाबू राम)
अनु सचिव।

संख्या-2232(1)/15-7-2006 तद्विनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुपार्व एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मन्त्रालय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3- विश्व विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 4- निरीक्षक, आन्ध्र भारतीय विद्यालय उपरोक्त, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड, राजाजीपुरम, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव।